फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

जसराम बनाम श्रीमन वगै0

किस्म मुकदमा–प्रा0पत्र अस्थाई निषे0 मु0नं0– 106 / 2024

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.10.2025	पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र हेतु पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषे0 इस आशय का पेश किया गया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 197, 198, 254, 255, 256, 258, 263, 69, 74 वाके रामा मीना सीमला तह0 सिकराय जिला दौसा में स्थित है, तथा खसरा संख्या 116, 261, 262 वाके रामा मीना सीमला में स्थित है तथा अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि है। प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि खसरा संख्या 263 जो प्रार्थीगण एवं सहखातेदारान के मध्य बाहमी बंटवारे से प्रार्थीगण के हिस्से में कब्जे काश्त की भूमि चली आ रही है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि से लगते हुए अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 262 स्थित है। प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 263 एवं अप्रार्थीगण की खातेदारी खसरा नंबर 262 आपस में एक दूसरे से लगती हुयी होने का अप्रार्थी द्वारा नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर कब्जा कर पुख्ता तामिरात निर्माण कार्य करने पर उतारू हो रहा है। तथा अपनी खातेदारी भूमि आराजी खसरा नंबर 262 के साथ साथ आराजी खसरा नंबर 263 मे भी बाउण्ड्री लगाकर दीगर लोगो को रहन बय हस्तान्तरण करने को आमादा हो रहे है। इसलिए ताफैसल अस्थाई निषे0 से अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश न कर सीधे बहस हेतु निवेदन किया जिस पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषे0 सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित उक्त तथ्यों का दोहरान किया एवं निवेदन किया कि जब तक मूल वादपत्र का निर्णय नहीं हो जाता है तब तक पत्रावली में जारी अस्थाई निषे0 को मूल वादपत्र के निर्णय तक कन्फर्म किया जावे। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा वादपत्र एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषे0 झूठे एवं मनगढन्त तथ्यों पर पेश किया गया है। प्रार्थीगण की भूमि से लगते हुए अप्रार्थी की भूमि स्थित है जिस पर प्रार्थीगण जबरन कब्जा करना चाहते है एवं स्थगन आदेश की आड में अतिक्रमण कर रहे है। प्रार्थीगण का अप्रार्थीगण को अतिक्रमी बताना निराधार एवं गलत है इसके उलट प्रार्थीगण अतिक्रमी व्यक्ति है जो जारी स्थगन आदेश की आड में अप्रार्थी की खातेदारी भूमि पर कब्जा करना चाहते है एवं पत्थरगढी कार्यवाही को रोकना चाहते है। अप्रार्थी की मंशा साफ एवं स्पष्ट है इसी नियत से अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने हेतु अप्रार्थी द्वारा	

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय

जगराम बनाम श्रीमन व॰अ॰
T.F. मु॰नं॰ - 106/2024

न्यायायल हाजा में ही पत्थरगढी बाबत पत्रावली श्रीमन बनाम राज0 सरकार मु0न0 104/2024 पेश किया है, यदि अप्रार्थी अतिकमी होता तो कदापि पत्थरगढी हेतु आवेदन नहीं करता। उक्त से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज काश्त है जिस पर स्थगन आदेश की आड में प्रार्थीगण कब्जा करना चाहते है। इसलिए प्रार्थना पत्र अस्थाई निषे0 खारिज किया जावे।

उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस का मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। न्यायालय हाजा की अन्य पत्रावली 104/2024 का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र इस आधार पर पेश किया है कि अप्रार्थी उनकी खातेदारी भूमि पर जबरन अतिकमण करना चाहते है लेकिन अप्रार्थी द्वारा स्वंय पत्थरगढी हेतु आवेदन किया गया है जिससे यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी की नियत अतिकमण की नहीं है बल्कि वह तो स्वंय अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते है। तथा न्यायालय हाजा द्वारा अन्तरिम अस्थाई निषे0 में अप्रार्थी को उनकी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 262 में पाबंद किया गया है जो कि न्यायोचित नहीं है।

अतः पत्रावली अस्थाई निषे0 दिनांक 16.10.2024 एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषे0 खारिज किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा